सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी
SARDAR VALLABHBHAI PATEL NATIONAL POLICE ACADEMY
(भारत सरकार : गृह मंत्रालय) **(Government of India : Ministry of Home Affairs)**
हैदराबाद : **Hyderabad– 500 052.**

Inter Office Note

Sub : **Notified Recruitment Rules for the post of Sub-Inspector (Outdoor)-Reg**

A copy of notified Recruitment Rules for the post of Sub-Inspector (Outdoor) is enclosed herewith for uploading the same in the Academy website under "Recruitment Rules" column.

(Dr. K. Madhukar Shetty)
Deputy Director (Estt)

The Assistant Director (IT)
SVP NPA,Hyderabad.

No.19011/1/99/Estt- SI (OD) Dated 04 Jan, 2018

सा.का.नि. 435.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय के अधीन सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में उप निरीक्षक (आउटडोर) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :

(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम – सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, उप निरीक्षक (आउटडोर) भर्ती नियम, 2017 है।

(ii) ये, राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर** – पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि** – भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता** – वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति, जिसका पति या पत्नी जीवित हैं, से विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति** – जहां केन्द्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध कर इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृति** – इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु–सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उप निरीक्षक (आउटडोर)	03* (2017) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता हैं।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर 5 (29200-92300/-रु.)	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(11)
प्रतिनियुक्ति द्वारा :– केंद्रीय या राज्य सरकारों के ऐसे अधिकारी - (क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हो; या (ii) जिन्होंने नियुक्ति के बाद स्तर 4 में (25500-81000 रु.) सहायक उप निरीक्षक के रूप में 2 वर्ष की नियमित सेवा की हो; (iii) जिन्होंने नियुक्ति के बाद स्तर 2 में (19900-63200 रु.) प्रधान आरक्षक के रूप में 5 वर्ष की नियमित सेवा की हो । (ख) निम्नलिखित अर्हताएं धारण करते हों– (i) न्यूनतम ग्रेडिंग "BY" के साथ निम्नलिखित अनिवार्य पाठ्यक्रम में से किन्हीं दो को पूरा किया होना चाहिए। (i) ड्रिल (ii) हथियार प्रशिक्षण (iii) जिमनास्टिक / अनआर्म्ड काम्बेट (iv) शारीरिक प्रशिक्षण। (ii) पिछले 10 वर्षों के दौरान आउटडोर प्रशिक्षण में अनुदेशक के रूप में न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। (iii) आयु 50 वर्ष से कम और शारीरिक सक्षमता एवं सहनशीलता का स्तर अच्छा होना चाहिए। (iv) किसी भी गंभीर या बार–बार होने वाली बीमारी से मुक्त होना चाहिए। **टिप्पणी 1:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पणी 2:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारिख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार हेतु) हैं तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता।

[फा.सं. 23011/05/2017–पीटी]

अजय कुमार सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 12th December, 2017

G.S.R. 435.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Sub-Inspector (Outdoor) in the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad, under the Ministry of Home Affairs, namely :-

1. **Short title and commencement. -** (1) These rules may be called the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy Sub-Inspector (Outdoor) Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in the pay Matrix -**The number of posts, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit and qualifications etc.-** The method of recruitment of the said post, age- limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the Schedule.

4. **Disqualification. -** No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the above said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are grounds, for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax -** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for the reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving. –** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the ex-servicemen, the Other Backward Class and the other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether Selection Post or Non-Selection Post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sub-Inspector (Outdoor).	03* (2017) *Subject to variation dependent on work.	General Central Service Group-'C', Non-Gazetted, Non-ministerial.	Level- 5 (Rs. 29,200-92,300/-).	Not applicable.

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Deputation.

In case of recruitment by deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Deputation : Officers of the Central Government or State Government.- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the Parent Cadre or Department, or (ii) Assistant Sub Inspector with two years of regular service rendered after appointment thereto in the level-4 (Rs. 25500-81000/-). (iii) With five years regular service as Head Constable rendered after appointment thereto in the level-2 (Rs. 19900-63200/-). (b) And possessing following qualifications.- (i) should have done any two of the following mandatory course with the minimum Grading of 'BY'. i. Drill, ii. Weapon Training iii. Gymnastics/Unarmed Combat iv. Physical Training (ii) should have minimum five years of experience as an instructor in Outdoor training during last ten years. (iii) should be below fifty years of age and should have good level of physical fitness and endurance; and (iv) should be free from any serious or recurring medical ailment. **Note 1.-** The period of deputation including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 2.-** The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of application.	Not applicable.	Not applicable.

[F.No. 23011/05/2017-PT]

AJAY KUMAR SINGH, Under Secy.